राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग

राजस्थान, जयपुर फोन नं0 0141–2221812, ई–मेल :– pcpndt-rj@nic.in

क्रमांकःराज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/राज्य समन्वयक/Online/2021/14 दिनांक :– 07/01/2021

1. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
जिला कलक्टर, राजस्थान।
2. समस्त जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।

विषयः– पीसीपीएनडीटी मोबाइल एप के माध्यम से सूचनाए दर्ज करने हेतु दिशा–निर्देश बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पीसीपीएनडीटी मोबाइल एप का निर्माण किया गया है जो गूगल प्ले स्टोर पर 'IMPACT NIC' के नाम से उपलब्ध एप को इन्स्टोल किया जा सकता है। इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर पर दर्ज समुचित प्राधिकारियों एवं पंजीकृत केन्द्रों के मोबाइल नम्बर का इन्द्राज करने पर उक्त मोबाइल नम्बर पर चार संख्या का ओटीपी सफलतापुर्वक जनरेट होने पर चार संख्या का पिन निर्माण उपयोगकर्ता द्वारा किया जायेगा। इसके पश्चात संबंधितानुसार स्क्रीन दिखाई देगी। जिसमें पंजीकृत केन्द्रों द्वारा फॉर्म एफ, डे एण्ड समरी व फीडबैक अपलोड करने की सुविधा के साथ ही समुचित प्राधिकारियों द्वारा पीआईआर निरीक्षण की सूचना दर्ज की जा सकती है। इस मोबाईल एप की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में राज्य के प्रत्येक जिले से एक समुचित प्राधिकारी व जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक को राज्य स्तर से प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

अतः समुचित प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि केन्द्रों के निरीक्षण के समय पीआईआर को मोबाईल एप के माध्यम से निरीक्षण के समय (Real time basis) पर ही पीसीपीएनडीटी की वैबसाईट पर निरीक्षण केन्द्र से अपलोड किया जाये एवं इस मोबाईल एप के सम्बन्ध में पंजीकृत केन्द्रों को जानकारी उपलब्ध करायी जावे।

(नरेश कुमार ठकराल)
अध्यक्ष,
राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी)
एवं मिशन निदेशक (एनएचएम),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन राजस्थान।
4. समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान (जरिये जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी)।
5. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान को भेजकर लेख है कि समुचित प्राधिकारी के **इम्पेक्ट साफ्टवेयर पर मोबाईल नम्बर की मास्टर डिटेल अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें।**
6. सर्वर रूम।
7. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी)
एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

Scanned by CamScanner